प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान ,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग ,जयपुर–302017

क्रमांकः एफ.15( )/भण्डार/प्रअके/2016–17/ दिनांकः

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय ,
राजस्थान ,जयपुर ।

विषयः–संस्थान मे लैदर फोम लेपटॉप बैग की आपूर्ति बाबत विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि संस्थान में लैदर फोम लेपटॉप बैग की आपूर्ति बाबत विज्ञप्ति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। कृपया एक क्षैत्रीय दैनिक समाचार पत्र में आवश्यक रूप से प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें। भुगतान हेतु बिल पंजीयक प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर के नाम तीन प्रतियों में डी.पी.आर. दरों की प्रति सहित भिजवाने की व्यवस्था करावें ताकि भुगतान किया जा सके।

भवदीय,

संलग्नः–विज्ञप्ति की सात प्रतियॉ

पंजीयक
प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र

क्रमांकः एफ.15( )/भण्डार/प्रअके/2016–17/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमती सुधा सिंह, प्रोग्रामर,ह.च.मा.रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त बोली विज्ञापन एवं बोली प्रपत्र का प्रकाशन SPPP पोर्टल, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर की वेब साईट पर करवाने का श्रम करें।
2. गार्ड फाईल

पंजीयक
प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र

प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

जयपुर–302017

बोली आमन्त्रण सूचना

इस संस्थान में लैदर फोम लेपटॉप बैग आपूर्ति हेतु 01 वर्ष के लिए दर अनुबन्ध करने हेतु खुली बोली के अन्तर्गत मुहरबन्द (द्विलिफाफा) बोली आमंत्रित की जाती है। सक्षम फर्म अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र में संस्थान में भेज सकती है। बोली प्रपत्र संस्थान के नेहरू भवन में कमरा नम्बर 206 में निर्धारित शुल्क जमा कर कैशियर से प्राप्त किया जा सकता है।

कार्य	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रपत्र विक्रय दिनांक / समय	बोली प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम दिनांक / समय
लैदर फोम लेपटॉप बैग आपूर्ति	5 लाख पांच लाख	10,000 (रू. दस हजार मात्र)	200 / –	08.9.2016 कार्यालय समय	14.9.2016 दोपहर 01.00 तक

बोली दिनांक 14.9.2016 को **दोपहर 01.00 बजे** कमरा नम्बर 105, नेहरू भवन, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह.च.मा .रीपा, जयपुर में खोली जावेगी। बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट (मांगदेय) संलग्न करना अनिवार्य है। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। जो भी निविदाएं विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होगी उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।

बोलीदाता बोली की अन्य विशिष्टियां व बोली प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट www.hcmripa.gov.in से डाउनलोड कर सकते है परन्तु ऐसी स्थिति में बोली प्रपत्र का शुल्क 200 बोली प्रपत्र जमा कराते समय संस्थान में अलग से देय होगा।

पंजीयक (प्र.अ.के.)

लैदर फोम लेपटॉप बैग हेतु बोली प्रपत्र सं0
——
——
——————————————————————————————————————

अनुमानित व्यय 05.00 लाख

(फर्म/व्यक्ति का नाम व पता)
मय दूरभाष संख्या एवं फैक्स नम्बर

सेवामें,

निदेशक महोदय
प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर–302017

विषयः– संस्थान द्वारा लैदर फोम लेपटॉप बैग (रेट कॉन्ट्रेक्ट के अन्तर्गत) की सप्लाई हेतु खुली बोली आमंत्रित करने बाबत।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत हम आपके संस्थान द्वारा आमंत्रित की गई खुली बोली के अन्तर्गत (रेट कॉन्ट्रेक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत) लैदर फोम लेपटॉप बैग की सप्लाई करने की दरें संलग्न बोली प्रपत्र में प्रस्तुत कर रहे है। हमें बोली की समस्त शर्ते स्वीकार है तथा अनुबन्ध की सम्पूर्ण अवधि में हम इनका पालन करने के लियें बाध्य रहेगें।

बोली प्रतिभूति राशि के रूपयें... का बैंक ड्राफ्ट संख्या............. ....दिनांक...सलंग्न है।

धन्यवाद।

भवदीय,

(हस्ताक्षर मय सील)

S.No.	Specifications	Rate including all Taxes
1	Executive Leather foam laptop Bag Size: 16" X 11" X 5" (Approximately 10% plus minus) 3 inner compartment/pocket and one other chain pocket, Primium/High grade, Lock-(two) buckles and premium quality zip (metal) Adjustable shoulder belt pockets for pen, glasses, mobile and flap for holding visiting card etc. (As per our sample, which may be seen in room No. 206)	

नोटः–

1. उपरोक्त सामानों की दरें आदेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
2. प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र आवश्यकतानुसार समय–समय पर क्रय करेगा।
3. बोली दो लिफाफों में आमंत्रित की जायेगी। प्रथम लिफाफे पर तकनीकी बोली स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। दूसरे लिफाफे पर वित्तीय बोली अंकित होगा। तकनीकी बोली के अन्तर्गत जिन फर्मो का बैग का सैम्पल अनुमादित होगा केवल उन्हीं फर्मो की वित्तीय बोली खोली जावेगी।

(हस्ताक्षर मय सील)
(बोलीदाता)

अंतिम तिथि 14.09.2016
समय 1.00 बजे तक

बोली प्रपत्र

प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर–302017

1. बोली जिस वस्तु के लिये है उसका नामः– लैदर फोम लेपटॉप बैग (अनुमानित व्यय 5 लाख वार्षिक)
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पताः–
....
3. फर्म के दूरभाष नम्बर व फैक्स नम्बर..
....
4. विज्ञापन संख्या व दिनांक...
5. बोली प्रपत्र का शुल्क रूपये 200/–नगद रसीद संख्या...
दिनांक............................ ....के द्वारा जमा करा दी गई है।
6 हमने बोली की समस्त शर्तो को भली प्रकार से पढ लिया है व हमें समस्त शर्ते स्वीकार हैं। बोली सूचना संख्या......... ....दिनांक............................में वर्णित सभी शर्तो की सहमति में प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है।
7 आपूर्ति किये जाने वाले सामान की दरें व मात्रा संलग्न है।
8. सामग्री प्रदाय आदेश प्राप्त होने की दिनांक से 03 दिवस अथवा आदेश में निर्धारित अवधि में सामान की सुपुर्दगी कर दी जायेगी।
9. उक्त दरें एक वर्ष हेतु तक मान्य होगी। उक्त अवधि को पारस्परिक सहमति से (आर टी पी पी एक्ट, 2012 एण्ड रूल्स, 2013) नियमानुसार बढाया जा सकेगा। सामान की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई, बढाई जा सकेगी।
10. बोली प्रतिभूति के पेटे बैंक डाफ्ट/बैकर्स चैंक नम्बर......................बैंक का नाम............
....................................प्राप्ति रसीद नं0................................दिनांक.....................रूपये 10,000/–
.(दस हजार रूपए मात्र) .संलग्न है। बोली प्रतिभूति के बिना बोलीयों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11.बोलीदाता की घोषणा (एस.आर. प्रारूप 11 में) का प्रमाण–पत्र सलंग्न है।
12. हमने निविदित सामग्री का सेम्पल सलंग्न कर दिया है।
13. इसके साथ आयकर पजीयन प्रमाण–पत्र,पैन नं. व वेट पंजीयन एवं बिक्री कर चुकती प्रमाण–पत्र जैसी भी स्थिति हो नियमानुसार प्रस्तुत है।
14 बोली प्रपत्र पोर्टल पर प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 08.09.2016 को प्रातः 11.00 बजे तक रीपा प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र केशियर (कमरा नं. 206) से प्राप्त किये जा सकते हैं।
सीलबन्द बोली प्रपत्र दिनांक 14.09.2016 तक दोपहर 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा जो कि नेहरू भवन स्थित स्वागतकक्ष पर रखे हुए बोली बॉक्स में डाले जा सकते हैं तथा निविदाएॅ दिनांक 14.09.2016 को दोपहर 3 बजे कमरा नं. 105 में खोली जावेगी।
15 बोली जिसको प्रस्तुत करनी हैः– पंजीयक (प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र) ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
16 निविदा के सैम्पल निधारित तिथि/समय से पूर्व स्टोर शाखा प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र में जमा करा कर उसकी रसीद ले ली हैं।

हस्ताक्षर बोली दाता

निम्न प्रमाण –पत्रों/दस्तावेजों की प्रति तकनीकी बोली के लिफाफे में संलग्न करे

1 .बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी./बैंकर्स चैक जो कि निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर के नाम देय हो।
2. बोली प्रपत्र शुल्क रु. 200/–
3. फर्म के द्वारा VAT रजिस्ट्रीकरण की प्रति के साथ बिक्री कर चुकता (VAT Clearance Certificate) नवीनतम प्रति संलग्न करनी होगी। (यदि लागू हो)
4 आयकर विभाग द्वारा जारी PAN CARD की फोटो प्रति।
5. बोलीदाता का विगत तीन वर्षो का (औसत 10 लाख) टर्न ओवर का प्रमाण–पत्र।
6. TAN Number
7. सैम्पल प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के भण्डार शाखा (कमरा नं. 206) में जमा करवाना होगा।

मैंनें/हमने बोली में अंकित समस्त शर्ते पढ़ ली है व हमें समस्त शर्ते स्वीकार है। प्रमाण स्वरूप हमने बोली की शर्तो पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान ,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग ,जयपुर–302017

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणीः बोली दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलीँ भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1 बोली निश्चित दिनांक एवं समय तक बोली सूचना में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्ररूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द की जाकर प्रस्तुत की जाएगी। विलम्ब/देरी से प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. वास्तविक डीलरों /सेवा दाताओं द्वारा बोलीं :–बोली वास्तविक डीलरों /सेवा दाताओं द्वारा हीं दी जाएगी। इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेगें ।

3. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(11) संविदा के संबध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं केता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी ।

1. **बिक्री कर/सेवा कर पंजीयन एवं बिकीकर चुकता प्रमाण पत्रः** कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर/सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं दे सकेगा। बिक्री कर/सेवा कर पंजीयन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) तथा बिकीकर कर चुकता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें ।

2. **फर्म** को जारी पैन कार्ड की फोटो प्रति सलंग्न की जावे।

6. बोली प्ररूप स्याही/बाल पेन से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बोली दाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

7. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर/मुल्य संवर्धित कर (VAT) एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक–पृथक से दिखाना चाहिए।

8. विधिमान्यताः बोलियॉ, उनके खोले जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधि **मान्य होगी।**

9. अनुमोदित सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

10 सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े पर नहीं देगा।

11 विनिर्देशः (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएँ बोली में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहाँ पर वस्तुओं कीआई.एस. आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हों वहाँ उन मदों को पूर्ण रू‍ से उन विनिदेंश के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।

(ii) **वारंटी / गारंटी खण्डः** बोली दाता यह गारंटी देगा कि लगाया गया माल / सामान / वस्तुएँ / उपकरण आपूर्ति किये जाने की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी।

12. निरीक्षणः (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, को किसी भी समय सेवादाता / अनुबन्ध कर्ता के कार्य स्थल के निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

(ख) बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा।

13. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

14. नमूने निकालनाः – परीक्षणों के मामले में, बोलीदाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं / या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

15. परीक्षण प्रभारः– परीक्षण प्रभार ह.च.मा. रीपा, जयपुर द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

16. अनुबन्ध / सेवा हेतु संविदा को, यदि सेवा / अनुबन्ध क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

17. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

18. (i) **सुपुर्दगी अवधिः–** बोलीदाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी, उस सेवा / अनुबन्ध आदेश प्राप्त करने के 7 दिवस के भीतर सेवा / अनुबन्ध निष्पादित कराये जाने की व्यवस्था करेगा।

(ii) **परिमाण में परिवर्तन का अधिकारः–**आर टी पी पी रूल्स ,2013 के नियम 73 के प्रावधान अनुसार।

(iii) यदि सेवा प्राप्तकर्ता किन्हीं निविदत्त सेवाओं / वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में प्राप्त करता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

19. बोली प्रतिभूतिः– (क) बोलीके साथ 10,000 /– रु. की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलीओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि महा निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह. च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के पक्ष में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट मे माध्यम जमा कराई जायेगी।एम एस एम ई पंजीबद्व राजस्थान की इकाईयों के बोली प्रतिभूति राशि बिड वैल्यू की 0.5 प्रतिशत देनी होगी। इस हेतु आवश्यक वैध पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा।

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदायः असफल बोलीदाता की बोलि प्रतिभूति राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्र आर टी पी पी रूल्स 42(3) के अनुसार देना होगा।

(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोलीओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/ प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोलीओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

20 बोलीप्रतिभूति का समाहरणः– बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा।

(i) जब बोलीदाता बोलीखोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बादकार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार मदों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भकरने में असफल रहाता है।

21. **(1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः –**

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए बोलियाँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि नकद अथवा निदेशक,,ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से जमा कराई जायेगी।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम सेवा/अनुबन्ध से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को टुकडो में सप्लाई किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(vi) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगाः

(अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

22.भुगतानः (i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

23(i) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) **परिसमापित नुकसानीः— जी एफ एण्ड ए आर** में अंकितानुसार परिसमापित नुकसानी की दरें प्रभावी होंगी। (2.5::% 5% 7.5% 10%)

1 (क) यदि सेवा/अनुबन्ध किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा/अनुबन्ध को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ख) यदि सेवा/अनुबन्ध करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

23. वसूलियाँः— परिसमापित नुकसानी, टूट—फूट या रद्द की गयी सेवाओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। सेवा/अनुबन्ध कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द किए गए सेवा/अनुबन्ध की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं ठीक किया जाता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

24. टेण्डर मे वार्षिक अनुमानित खरीद रूपयें 5.00 लाख का आकलन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या व प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुमान के आधार पर किया गया है। अतः टेण्डर की खरीद सामग्री आवश्यकता अनुसार आरटीपीपी नियम 29 के रेट कान्ट्रेक्ट के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा नियम 74 के अनुसार एक से अधिक बोलीदाताओं के बीच कार्यो का विभाजन भी किया जा सकेगा।

25. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

26. आरटीपीपी नियम, 29 (2)(ज) रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के द्वौरान किसी भी समय राज्य मे किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, देने के लिये उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिये दर संविदा कीमत, कीमत कम करने/कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जावेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिये पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिये संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

27. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा। न्यूनतम दर पर एक से अधिक बोलीदाताओं से दर संविदा की जा
स्कती है।।

28.सफल बोलीदाता को अपने खर्चे पर बोली स्वीकार किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक से 7 दिवस में निर्धाति प्रारूप में नियमानुसार 1000/ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना पडेगा।

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

29. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को निदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जायेगा और इस विवाद पर वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

30.समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

31. जो भी बोलीएं विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होगी उन्हें रदद कर दिया जाएगा ।

32. सरकार न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा वह किस भी बोली को या उसे किसी भाग को बिना कोई कारणबताये रदद कर सकेगी।

33. शेष शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार मान्य होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर